an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, papers to the laid on the Table; Shri Ananthkumar.

...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI ANANTHKUMAR): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions): --

(1) Memorandum of Understanding between the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2014-2015.

[Placed in Library. See No. LT 19/16/14]

(2) Memorandum of Understanding between the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2014-2015.

[Placed in Library. See No. LT 20/16/14]

(*Interruptions*)

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल)ः अध्यक्ष महोदया, बिहार की महिलाओं के बारे में बहुत गलत शब्द बोले गये हैं। ...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) ः अध्यक्ष महोदया, मैं श्री किरेन रिजीजू की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ःः--

(1) हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में तेजी लाने और वष्Âान 2011-2012 के लिए इसके कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम के बारे में 43वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 21/16/14]

(2) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231 (अ) जो 29 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की तीसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 22/16/14]

(3) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः --

(एक) राष्Âट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वÂर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्Âट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वÂर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्Âट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 23/16/14]

12.01hrs

At this stage, Shrimati Ranjeet Ranjan came and stood

on the floor near the Table

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) ः अध्यक्ष महोदया, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं --

(एक) का.आ. 968(अ) जो 29 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library. See No. LT 24/16/14]

(दो) का.आ.1180(अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं.का.आ. 382(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library. See No. LT 25/16/14]

(तीन) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2014 जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1181(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library. See No. LT 26/16/14]

(चार) का.आ.1182(अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरक के विनिर्देशनों को इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वष्Â◌ाॅ की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library. See No. LT 27/16/14]